न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक
167 / 2024	19.07.2024	20.11.2025

उनवान

1. समीर पुत्र बजरंगलाल, उम्र 53 वर्ष, जाति महाजन, निवासी प्लाट नं. 6 / 403, विद्याधर नगर जयपुर, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. आदित्य पुत्र गिरधारी
2. राजकुमारी पत्नी गिरधारी

   समस्त जाति महाजन, निवासी 9, सुधा नगर कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर।
3. कमली पुत्री प्रभूदयाल
4. कालू पुत्र प्रभूदयाल
5. बरजी देवी पत्नी प्रभूदयाल
6. वंशी पुत्र प्रभूदयाल
7. रतन पुत्र प्रभूदयाल

   समस्त जाति जाट, निवासी घोसल्या की ढाणी, पोद्दार फार्म हाऊस के पीछे, ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलर चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक महोदय, उपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
10. केनरा बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

– प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956
निर्णय

निर्णय दिनांक:–20.11.2025

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.03.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 04.06.2025 को कुरेजात प्राप्त हुए। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 03 ता 07 द्वारा प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात का पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रा0 पत्र बाबत ऐतराज कुरेजात का पूर्ण सुनवाई / परिक्षणोपरान्त खारिज किया गया। पत्रावली पर अधिवक्ता उभयपक्ष के निवेदन पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस

सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन किया गया, जिससे वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 04.06.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू. अभि नि क्षेत्र चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 124 में वर्णित खसरा नं. 1088 रकबा 0.49 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर, हाल खाता सं. 125 में वर्णित खसरा नं. 1087 रकबा 0.27 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमियां स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. बंशी, रतन पि0 प्रभूदयाल हिस्सा 2/5 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा कालू पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा 1/5 कमली पुत्री प्रभूदयाल हिस्सा 1/5 बरजी देवी पत्नी प्रभूदयाल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 1087/1 रकबा 0.1064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1088/1 रकबा 0.1470 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2534 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. समीर पुत्र बजरंगलाल जाति महाजन सा0 प्लाट न0 6/403 विद्याधर नगर जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 1087/2 रकबा 0.0633 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1088/2 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2533 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. आदित्य पुत्र गिरधारी राज कुमारी पत्नी गिरधारी जाति महाजन सा0 लालकोठी पुरानी सब्जी मण्डी के पास जयपुर को खसरा नम्बर 1087/3 रकबा 0.1003 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1088/3 रकबा 0.1530 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2533 हैक्टेयर भूमि, जो संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) चौमूं के जरिये पंत्राक/भू0अ0/2025/3402 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

20/11/25

दिलीप सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर